**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 899**

**28 जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

नकली **दवाइयों के परिचालन में वृद्धि**

**899. श्रीमती बिमला कश्यप सूदः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देशभर में नकली दवाओं की मात्रा दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और सरकार इसको रोकने में नाकाम रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकतर नकली दवायें हिमाचल प्रदेश में बनती हैं; और

(ग) यदि हां, तो अब तक सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए हैं और सरकार ने इसको रोकने के लिए क्या उचित कदम उठाए?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाइक)

(क) नहीं, देश में नकली/मिलावटी दवाईयों के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के औषधि नियंत्रकों से प्राप्त पिछले चार वर्षों का डाटा नीचे दिया गया हैः

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र. सं | वर्ष | जांचे गए दवाईयों के नमूनों की संख्या | घटिया/मिलावटी घोषित किए गए दवाईयों के नमूनों की संख्या | घटिया/मिलावटी घोषित दवाईयों के नमूनों की प्रतिशतता |
| 1. | 2011-12 | 48082 | 137 | 0.27 |
| 2. | 2012-13 | 58537 | 70 | 0.11 |
| 3. | 2013-14 | 72712 | 118 | 0.16 |
| 4. | 2014-15 | 74199 | 83 | 0.11 |

(ख) नहीं, औषधि नियंत्रक, हिमाचल प्रदेश ने सूचित किया है कि वर्ष 2014 और 2015 में हिमाचल प्रदेश में एक भी विनिर्माता घटिया/मिलावटी दवाईयां बनाते हुए नहीं पाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*